

**मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट**

दिनांक:10.01.2023

अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस मुठभेड़ में गैंग के सरगना समेत 05 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, चोरी की एक बोलेरो व 12 अदद मोटरसाइकिल/दो पहिया वाहन तथा कब्जे से 02 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा वाहनों की चोरी व बिक्री करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर-श्रीकान्त प्रजापति के नेतृत्व में थाना कछवां, एसओजी व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक: 09.01.2023 को थाना प्रभारी कछवां मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इस दौरान थाना कछवां क्षेत्र में वाहनों की चोरी व बिक्री करने वाले गैंग के होने तथा सौदेबाजी करने की सूचना जरिए मुखबिर प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना कछवां, एसओजी व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गयी तो गिरफ्तारी से बचने हेतु बदमाशों द्वारा पुलिस पर जान मारने की नियत से दो राउण्ड फायर कर भागने का प्रयास किया गया परन्तु पुलिस टीम द्वारा स्वयं को बचाते हुए मौके से 04 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों द्वारा पूछताछ में अपना नाम पता 1.चन्द्रशेखर चौहान पुत्र अवध नारायण चौहान निवासी नई बस्ती आलू गोदाम अलीनगर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली, 2.अजय चौहान पुत्र शिवप्रसाद व 3.गुप्तेश्वर उर्फ लोहा चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासीगण वार्ड नं-10 मुगल का चक अलीनगर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली, 4.अनीश कुमार सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी शाहपुर थाना सासाराम जनपद रोहतास बिहार बताया गया। घटना में संलिप्त अभियुक्ता ममता चौहान पत्नी चन्द्रशेखर चौहान निवासिनी नई बस्ती आलू गोदाम अलीनगर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त चन्द्रशेखर चौहान व अनीश कुमार सिंह उपरोक्त के कब्जे से एक-एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा व एक अदद खोखा कारतूस तथा मौके से चोरी की एक बोलेरो(मु0अ0सं0-138/2022 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित) व एक मोटरसाइकिल(मु0अ0सं0-130/2022 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित) भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर बिक्री हेतु इकट्ठा कर रखी हुई चोरी की 11 अदद मोटरसाइकिल/दो पहिया वाहन बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़, गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कछवां पर मु0अ0सं0-03/2023 धारा 307,411,413,419,420,467,468,471 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त चन्द्रशेखर चौहान(गैंग लीडर), अजय चौहान व गुप्तेश्वर उर्फ लोहा चौहान द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे मिलकर जनपद चन्दौली, मीरजापुर, वाराणसी व सोनभद्र सहित अन्य आसपास के जनपदों से मौका देखकर बोलेरो, पिकअप व मोटरसाइकिलों की चोरी करते हैं तथा साथ में अपनी सुरक्षा हेतु अवैध तमंचा भी रखते हैं। वाहनों की चोरी कर उनके वास्तविक नम्बर प्लेट हटाकर उसी मॉडल की सड़क पर चलने वाले वाहनों का नम्बर नोट कर फर्जी नम्बर प्लेट बनवाकर वाहनों पर लगा कर चलते हैं ताकि पकड़े न जायें। पूर्व में ग्राम लठिया सहजनी जमालपुर से बोलेरो नंबर UP 63 W 1613, मधुपुर सोनभद्र से बोलेरो नंबर UP 63 P 6929 और रजौली चुनार मीरजापुर बोलेरो नंबर UP 63 V 5819 को चोरी करके बेच दिये थे जो सासाराम टाउन थाना जिला रोहतास बिहार में अवैध शराब की तस्करी में बंद हैं। चोरी के वाहनों को खरीदने व बेचने का काम करने वाले सासाराम बिहार के अनीश कुमार सिंह के गैंग के लोगो को बेच देते हैं जिनके द्वारा समय-समय पर चोरी के वाहनों की डिमांड की जाती है। चोरी के वाहनों का उपयोग बिहार में आपराधिक गतिविधियों एवं अवैध शराब की तस्करी करने में करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता —

- 1.चन्द्रशेखर चौहान(गैंग लीडर)पुत्र अवध नारायण नि0 नई बस्ती आलू गोदाम अलीनगर जनपद चन्दौली, उम्र करीब-28 वर्ष।
- 2.अजय चौहान पुत्र शिवप्रसाद निवासी वार्ड नं-10 मुगल का चक अलीनगर थाना अलीनगर चन्दौली, उम्र करीब-28 वर्ष।
- 3.गुप्तेश्वर चौहान उर्फ लोहा पुत्र पप्पू चौहान निवासी वार्ड नं-10 मुगल का चक अलीनगर जनपद चन्दौली, उम्र करीब-26 वर्ष।
- 4.अनीश कुमार सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी शाहपुर थाना सासाराम जनपद रोहतास बिहार, उम्र करीब-27 वर्ष।
5. ममता चौहान पत्नी चन्द्रशेखर चौहान निवासिनी नई बस्ती आलू गोदाम अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब -26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-03/2023 धारा 307,411,413,419,420,467,468,471 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी—

1.चोरी की एक अदद बोलेरो वाहन संख्या: UP 63 J 4537.

2.चोरी की 12 अदद मोटरसाइकिल/दो पहिया वाहन

क्रमांक वाहन का नाम अंकित वाहन संख्या चेचिस नम्बर इंजन नम्बर

1	हिरो स्प्लेण्डर	UP 63 AV 5859	—	—	
2	हिरो सुपर स्प्लेण्डर	BR 44 J 8361	MBLJAW095K9F17959	JA05EGK9F41708	
3	हिरो पैशन प्रो	UP 70 CV 7060	MBLHA10BJFHB37653	HA10ETFHB62409	
4	हिरो मेस्ट्रो(स्कूटी)	UP 64 U 4320	MBLJF32ABDGG22728	ZF32AADGG22682	
5	बजाज पल्सर 150	बिना नम्बर	MD2A11CZ6ECE58632	DHZCEE34497	
6	बजाज पल्सर 150	JH 05 AS 1650	MD2DHDHZZUCA21679	DHGBUA04750	
7	हिरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस	UP 63 AR 0048	MBLHA10CGGHE56305	HA10ERGHE59526	
8	हिरो होण्डा स्प्लेण्डर प्रो	UP 81 M 0746	परिवर्तित/कूटरचित	परिवर्तित/कूटरचित	
9	TVS अपाचे RTR 160	बिना नम्बर	MD634BE49H2F91160	BE4CH2026776	
10	TVS अपाचे RTR 160	UP 67 AE 9443	MD634AE83N2H21684	AE8HN2907337	
11	हिरो स्प्लेण्डर प्लस	स्कैच नम्बर प्लेट	MBLHAR087HHF73746	HA10AGHFH16364	
12	TVS अपाचे RTR 160	UP 63 AP 0127	MD634AE83L2F05279	AE8FL2X05654	

3.दो अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा व एक अदद जिंदा कारतूस (पुलिस मुठभेड़)

आपराधिक इतिहास—

अभियुक्त:- चन्द्रशेखर चौहान(गैंग लीडर) के विरुद्ध जनपद मीरजापुर, सोनभद्र व वाराणसी के विभिन्न थानों पर चोरी, मादक पदार्थों तस्करी सहित अन्य धाराओं में करीब 23 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त:- अजय चौहान के विरुद्ध जनपद मीरजापुर व वाराणसी के विभिन्न थानों पर चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, गैंगेस्टर सहित अन्य धाराओं में करीब 23 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त:- गुप्तेश्वर चौहान उर्फ लोहा के विरुद्ध जनपद मीरजापुर,सोनभद्र व वाराणसी के विभिन्न थानों पर चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, गैंगेस्टर सहित अन्य धाराओं में करीब 29 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक थाना कछवां-राम स्वरूप वर्मा मय पुलिस टीम।

प्रभारी निरीक्षक एसओजी-सत्येन्द्र कुमार यादव मय पुलिस टीम।

प्रभारी स्वाट/सर्विलांस-राजेश जी चौबे मय पुलिस टीम।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को ₹ 40 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

